

आज जनता के सामने झूठ की पोल खुल गई

हाई कोर्ट के फैसले पर **अविमुक्तेश्वरानंद बोले-** सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता



केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में शुक्रवार को बटुक को अवीर गुलाल से टीका लगाते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद © नट

जगमग संवाददाता, वाराणसी: एकदशी के अवसर पर उन्होंने नाबालिगों के कथित यौन शोषण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाए जाने के बाद शुक्रवार को केदारघाट स्थित श्रीविद्या मठ में खुशो का माहौल रहा। जैसे ही फैसले की जानकारी मिली, मठ परिसर 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गुंज उठा। आधे घंटे के भीतर बड़ी संख्या में अनुयायी मठ पहुंच गए और गौ माता से जुड़े नारों के साथ प्रसन्नता व्यक्त की।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि झूठ कुछ समय तक परेशान कर सकता है, लेकिन सत्य के सामने टिक नहीं सकता। उन्होंने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ताओं की वास्तविकता जनता के सामने आ रही है और न्यायालय ने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है। अदालत के इस आदेश ने कई सवाल पर विराम लगा दिया है और झूठ की पोल खुल गई है। रंगभरी



संबंधित खबर के लिए स्कैन करें QR कोड

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक सत्य की जीत : अजय राय



अजय राय

राज्य ब्यूरो, जगमग, लखनऊ : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कांति प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने न्याय और सत्य की जीत का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि यह सनातनियों की जीत है, परंतु सरकार के षड्यंत्र से सावधान रहने की जरूरत है। अदालत ने संविधान और विधि के अनुरूप निष्पक्ष निर्णय देकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। मोदी-योगी सरकार सुनियोजित साजिश के तहत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उनका अपमान पूरे सनातन धर्म का अपमान है।

छोटे व्यवसायों और स्व-रोजगार समूहों में ऋण की मांग में हो रही लगातार वृद्धि

जगमग संवाददाता, वाराणसी : राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों और स्व-रोजगार समूहों में ऋण की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी जिम्मेदार ऋण वितरण, डिजिटल सेवाओं और जॉखिम आधारित अंडरराइटिंग को मजबूत कर रही है, ताकि महिला ग्राहकों को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित वित्तीय सेवाएं मिल सकें।

फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गायाली ने कहा कि राज्य की विशाल ग्रामीण आबादी बढ़ती उद्यमिता और वित्तीय जागरूकता ने इसे सूक्ष्म वित्त विस्तार के लिए अत्यंत अनुकूल बना दिया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

ई- नीलामी बिक्री सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय : प्रथम तल बड़ौदा भवन, प्लॉट नं. 24 इण्डस्ट्रियल इस्टेट, चौधपुर, वाराणसी- 221106 (उ.प्र.)

अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिए बिक्री सूचना "अनुराग-IV-A [नियम 8(6) के संपादित नियम 9(1) प्रावधान देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 संपादित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के संपादित नियम 9(1) प्रावधान के तहत ई- नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा जनसाधारण एवं ऋणकर्ता/ जमानतकर्ता को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/ बंधक सांकेतिक सम्पत्ति को, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में ले लिया गया है को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा "जो है जहाँ है", "जो है जैसे है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर ई- नीलामी/ बिक्री की जायेगी। ऋणकर्ता/ जमानतकर्ता/ प्रतिभूति आरति/ देय/ आरक्षित मूल्य/ ई-नीलामी की तिथि एवं समय, घरोहर राशि (ईएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

नीलामी की तिथि 06.04.2026 सत्रय : दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक

घरोहर राशि (ई.एम.डी.) का भुगतान ऑनलाईन एनईएफटी/द्वारा (चालान निष्पादन के बाद) (https:// www.baanknet.com) के द्वारा दिनांक 06.04.2026 या उसके पहले किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ बिड बढ़ोत्तरी राशि	कब्जा की स्थिति (सांकेतिक/ भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय
शाखा : जगतपुर डिजिटल, जिला : वाराणसी, मोबाइल नं 0 : 9554959263						
1.	ऋणकर्ता : मेसर्स विनोद टेक्स्टाइल्स प्रोप्राइटर : श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र स्व० सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता पंजीकृत कार्यालय का पता : ग्राम लोहा, बड़ी बाजार, हरपालपुर, लोहा, वाराणसी उत्तर प्रदेश 221107 जमानतकर्ता : (1) श्री बाल कृष्ण गुप्ता पुत्र स्व० सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (2) श्री गोपाल कृष्ण गुप्ता पुत्र स्व० सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (3) श्रीमती सीता देवी पत्नी देवी पत्नी स्व० सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता सभी का पता : ग्राम लोहा बड़ी बाजार, हरपालपुर, लोहा, वाराणसी उत्तर प्रदेश 221107 एवं मोजा भस्करा, परगना कसरवा राजा, तहसील एवं जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश 221107	सांथिक बंधक सम्पत्ति के सभी भूमि व भवन, अराजी संख्या मि. 603 एवं मि. 1381, क्षेत्रफल 1305 वर्गफिट यानि 121.38 वर्ग मीटर मोजा भस्करा, परगना कसरवा राजा, तहसील एवं जिला वाराणसी में स्थित है जो श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व० सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता के नाम है। चौहद्दी - पूरब : अराजी का शेष भाग, पश्चिम : श्रीमती चिन्तामणि की भूमि, उत्तर : जंगली की भूमि, दक्षिण : 10 कड़ी चौड़ा रास्ता।	रु. 10,53,283.72/- (रुपये दस लाख तिरपन हजार दो सौ तिरासी एवं बहत्तर पैसे मात्र) + दिनांक 09.07.2024 से ब्याज एवं अन्य खर्च	रु. 44,88,000/- (आरक्षित मूल्य) रु. 4,48,800/- (अग्रिम धनराशि) रु. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	सांकेतिक	दिनांक 05.04.2026 समय सुबह 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
2.	ऋणकर्ता : श्री सिद्धार्थ जायसवाल पुत्र स्व० प्रेम जायसवाल जमानतकर्ता : श्रीमती सुमन जायसवाल पत्नी स्व० प्रेम जायसवाल दोनों का पता : (1) ग्राम हरिहरपुर, पोस्ट रोहनिया, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221108 (2) बी 30/2 14 ए, प्रफुल्ल नगर कॉलोनी, लंका, वाराणसी उत्तर प्रदेश 221005 चौहद्दी - पूरब : गैलरी उसके बाद अलपू राम कटरा, उत्तर : लहरतारा मोहनसराय रोड, दक्षिण : लाल बहादुर का मकान व दुकान।	सांथिक बंधक सम्पत्ति के सभी भूमि व भवन, खाता संख्या 118, अराजी संख्या मि. 213, क्षेत्रफल 224 वर्गफिट यानि 20.817 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र भूतल 20.817 वर्ग मीटर एवं प्रथम तल 20.817 वर्ग मीटर, मोजा गोविंदपुर, परगना देहात अमानत, तहसील एवं जिला वाराणसी में स्थित है जो श्रीमती सुमन जायसवाल पत्नी स्व० प्रेम जायसवाल के नाम है। चौहद्दी - पूरब : गैलरी उसके बाद अलपू राम कटरा, उत्तर : लहरतारा मोहनसराय रोड, दक्षिण : लाल बहादुर का मकान व दुकान।	रु. 8,79,685.20/- (रुपये आठ लाख उनसी हजार छः सौ पचासी एवं बीस पैसे मात्र) + दिनांक 09.07.2024 से ब्याज एवं अन्य खर्च	रु. 13,06,000/- (आरक्षित मूल्य) रु. 1,30,600/- (अग्रिम धनराशि) रु. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	सांकेतिक	दिनांक 05.04.2026 समय सुबह 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर अवलोकन करें - www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm & <https://baanknet.com>

विवाद की स्थिति में अंशेकी पाठ्य ही मान्य होगा।

सुनवाई में बचाव पक्ष ने एक पीड़ित को बालिग बताया

विधि संवाददाता, जगमग, प्रयागराज : माघ मेला 2026 तथा महाकुंभ 2025 में नाबालिग बटुकों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगी स्वामी मुकुंदानंद के खिलाफ है। हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर काफी उत्सुकता थी। बचाव पक्ष ने एक पीड़ित को बालिग बताया। पीड़ितों की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया गया। अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप गुप्ता, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र तथा शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता रीना एन सिंह ने पक्ष रखा। कोर्ट को बताया गया कि पीड़ित हरदोई में नियमित छात्र हैं। मार्कशीट के अनुसार उनमें एक बालिग है। वह आश्रम का नहीं है। शिकायतकर्ता खुद कई अपराधों में लिप्त है। राज्य सरकार की तरफ से अर्जी की पोषणयिता (स्वीकार्यता) पर आपत्ति की गई। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने भी अग्रिम जमानत का विरोध किया।

मिलावट के खिलाफ आप छात्र नेताओं ने दिया ज्ञापन

जास, वाराणसी : आम आदमी पार्टी के छात्र इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुकुल यथार्थ के नेतृत्व में छात्र मिलावटखारों के खिलाफ जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एडीएम अमित भारती को सौंपा। छात्रों ने कहा कि त्योहार के दौरान दूध, मसाले, तेल और घी में मिलावट के कई मामले सामने आए हैं। यह मिलावट न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब करने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है। मिलावट करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। सापन देने वालों में कन्हैया लाल, आर्यन चौधरी, शुभम सिंह उपस्थित रहे।

तीन हमलावरों की जमानत अर्जी खारिज

जास, वाराणसी : बारात में जबरदस्ती

PUNAM Since 1958

सभी प्रकार की सिलाई मशीनें

पूनम एजेन्सीज़

I.M.A. बिल्डिंग के सामने, लहराबीर, वाराणसी

M-9336599933, 9670111888

मेडिकल हेल्पलाइन

डॉ. उषा गुप्ता 0542-2360146 MBBS 9984991991

डॉ. शलम गुप्ता 9918881333 MS, FRCS (London) 9984991991

डॉ. समीर गुप्ता 9161553168 MD (Pediatrics) 9984991991



उपरोक्त सभी डॉक्टर्स के अप्वाइंटमेंट के लिए OR